प्रेस नोट **30/07/2024**

चोरी के 1600 रुपये के साथ एक शातिर चोर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 30.07.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर डीसीएस के कॉलेज के पास से अभियुक्त अंशुमान कुमार पुत्र प्रहलाद निवासी निजामुद्दीनपुर भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के कब्जे से चोरी के 1600 रुपये बरामद किया गया । जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 241/24 धारा 331(4), 305(क), 317(2) बीएनएस में संबंधित पाया गया । उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अंशुमान कुमार पुत्र प्रहलाद निवासी निजामुद्दीनपुर भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ ।

बरामदगी-

1. चोरी के 1600 रुपये ।

लूट के 10280 रुपये, अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना घोसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 29.07.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सर्विस लेन मिर्जाजलालपुर के पास से अभियुक्त प्रिंस यादव पुत्र रामअशीष यादव निवासी अलीनगर थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से लूट के 10280 रुपये व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल व दो अदद मोबाईलफोन तथा एक अदद अवैध तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया । जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/24 धारा 392 भादवि में संबंधित पाया गया । उक्त अभियोग में धारा 411,414 भादवि व धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम की बढोत्तरी चालान न्यायालय किया गया । तथा बरामद मोटरसाईकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रिंस यादव पुत्र रामअशीष यादव निवासी अलीनगर थाना कोपागंज जनपद मऊ ।

बरामदगी-

1. लूट के 10280 रुपये ।
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल व दो अदद मोबाईलफोन ।
3. एक अदद अवैध तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस ।

एक वांछित तथा एक वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 30.07.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मधुबन पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर गजियापुर तिराहे के पास से मु0अ0सं0 208/24 धारा 137(2), 87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी मनपरवा दुबारी थाना मधुबन तथा रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त समा पुत्र सुरज निवासी लोहजरा थाना रामपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹40,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 30-07-2024 को मु0अ0सं0 115/2021 धारा 363, 366, 376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना हलधरपुर में दोषसिद्ध अभियुक्त आनंदपुरी पुत्र उपेंद्र पुरी निवासी तगुनपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं ₹40,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री प्रवीण मिश्रा, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी केस कुमार थाना हलधरपुर का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व ₹25,00 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत न्यायालय एसीजेएम/एफटीसी जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 30-07-2024 को मु0अ0सं0 83/2024 धारा 379,411 भादवि0 थाना मोहम्मदाबाद गोहना में दोषसिद्ध अभियुक्त मोहम्मद आबिद पुत्र शमसुद्दीन निवासी ताजोपट्टी जनपद- मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं ₹25,00 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री अभिनव शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड गौतम थाना मोहम्मदाबाद गोहना का सराहनीय योगदान रहा।